XXX-Part-23

रूप क्रमांक 4

(देखिये नियम 12)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

कमांक/दिनांक 4888 16/06/1997

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स,कम्प्यूटर एवं न्यू टेक्नालाजी (आईसेक्ट) स्थित है हुजूर तहसील में भोपाल जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी (आईसेक्ट) स्कोप कैंपस,एनएच–12 होशंगाबाद रोड भोपाल नाम से मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन पंजीयित की गई है ।

दिनांक आठ माह ..दिसम्बर सन् **2011**

(शशि सिंह)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार

समितियों के रजिस्ट्रार

अति. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

मुद्रा

88/18 0
25/6/18

प्रारूप एक

(नियम-3 देखिये)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिष्ठान ज्ञापन

1. **समिति का नाम** : ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी (आईसेक्ट) होगा।

2. **संस्था का कार्यालय** : आईसेक्ट विश्वविद्यालय कैम्पस, भोपाल-चिकलोद रोड, बंगरसिया चोराहा के पास, ग्राम मेंदुआ, पोस्ट-भोजपुर, जिला - रायसेन, मध्यप्रदेश - 464993

3. **समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :**

   1. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग से संबंधित जानकारी का साधारण जनता में प्रचार-प्रसार करना।
   2. स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों की जानकारी देना।
   3. प्रदर्शनी, सेमीनार और प्रचार माध्यमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग की जानकारी देना।
   4. पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक संबंधी ज्ञान देना।
   5. इच्छुक व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर इत्यादि के चयन, विकास इत्यादि के बारे में जानकारी देना।
   6. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं तकनीक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
   7. ऑडियो और वीडियो साधनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण देना।
   8. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर, नई तकनीक, व्यवसायिक शिक्षण एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के लिये केन्द्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।
   9. महिलाओं और बच्चों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के प्रशिक्षण तथा प्रचार के प्रयास करना।
   10. आदिवासियों, हरिजनों अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों के बीच तकनीक के प्रचार एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करना।
   11. नई तकनीकों के क्षेत्र में शोध विकास तथा राज्य एवं भारत सरकार की संबंधित परियोजनाओं में हिस्सेदारी करना।
   12. समान उद्देश्यों वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित करना और उनके तथा अपने सदस्यों के बीच लिंक के रूप में काम करना।
   13. संस्था के कौशल विकास एवं कौशल प्रशिक्षण संबंधी कार्य आईसेक्ट की सहायक संस्था आईसेक्ट स्किल्स मिशन समिति के सहयोग से संचालित किये जायेंगे एवं इस हेतु आईसेक्ट संस्था आईसेक्ट स्किल मिशन की पितृ संस्था की तरह कार्य करेगी जिसकी वह सांगठनिक सदस्य भी होगी।

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ / ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES / BHOPAL / भोपाल

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technololgy (AISECT)

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध निम्न संचालकों को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते और धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)	पता (4)	धंधा (5)
1	अजय तिवारी	अध्यक्ष	G-2/292, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल	सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रीजनल ऑफिस, भोपाल (म.प्र.)
2	डॉ. संध्या चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष	सी-1/187, इंदिरा नगर, कानपुर	प्रोफेसर ज्वालादेवी महाविद्यालय कानपुर (उ.प्र.)
3	संतोष चौबे	सचिव	22/ई-7, अरेरा कॉलोनी (महावीर नगर) भोपाल पिन-462014	कम्प्यूटर सलाहकार एवं डायरेक्टर स्टेट रिसोर्स सेंटर भोपाल (म.प्र.)
4	विनीता देवी	कोषाध्यक्ष	डेनियल पब्लिक स्कूल के पास [illegible] नगर, [illegible] नगर, जिला [illegible]	सीनियर मैनेजर सेक्ट एजुकेशन सेंटर
5	अनुराग सीठा	संयुक्त सचिव	जूनियर एम.आई.जी. 6/7 अंकुर कॉम्पलेक्स, भोपाल	कम्प्यूटर प्रोग्रामर लेक्चरर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)
6	राजेश तिवारी	सदस्य	बी-63, माचना कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भोपाल (म.प्र.)
7	पियूष चतुर्वेदी	सदस्य	SH-07 मेहता मार्केट कॉम्पलेक्स, नेहरू नगर, भोपाल-462003	प्रोग्रामर बैंक कर्मचारी भोपाल (म.प्र.)
8	यतीनचन्द्र	सदस्य	15-C, स्ट्रीट नं. 2 मधुबन, उदयपुर (राजस्थान)	प्रोग्रामर
9	सिद्धार्थ	सदस्य	Q-8, के.एन. हाउस लक्ष्मी नगर, नागपुर	छात्र

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्णय उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है, तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है :-

President
For All India Society Electronics & Computer Technolology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
All India Society Electronics & Computer Technololgy (AISECT)

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम	पते	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष कुमार चौबे	22/ई-7, अरेरा कॉलोनी (महावीर नगर) भोपाल पिन-462014	श्री जे.पी. चौबे	
2.	अजय तिवारी	G-2/292, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल	श्री आर.एस. तिवारी	
3.	डॉ. संध्या चतुर्वेदी	सी-1/187, इंदिरा नगर, कानपुर	श्री बाई.एन. चतुर्वेदी	
4.	विनीता देवी	डेनियल पब्लिक स्कूल के पास शास्त्री नगर, ब्रजराज नगर, जिला-संबलपुर (उड़ीसा)	श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी	
5.	संदीप कुमार	द्वारा अनंत मिश्र ओल्ड टाउन महाराणा [illegible] भुवनेश्वर (उड़ीसा)	श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी	
6.	पियूष चतुर्वेदी	SH-07 मेहता मार्केट कॉम्पलेक्स, नेहरू नगर, भोपाल-462003	श्री आर.एन. चतुर्वेदी	
7.	[illegible]	16, शुभम अपार्टमेंट, 37 पटपड़गंज, दिल्ली	w/o श्री अरविंद कुमार	
8.	[illegible] तिवारी	बी-63, मानसरोवर कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)	श्री एस.सी. तिवारी	
9.	आशीष कुमार	पोस्ट मानेक नगर, तुमसर जिला-भण्डारा (महाराष्ट्र)		
10.	अनुराग सीठा	जूनियर एम.आई.जी. 6/7 अंकुर कॉम्पलेक्स, भोपाल	श्री आर.पी. सीठा	
11.	यतीनचन्द्र	15-C, स्ट्रीट नं. 2 मधुबन, उदयपुर (राजस्थान)	श्री मिथलेश चन्द्र	
12.	पंकज चन्द्रा	आनन्द सिद्धी चेम्बर 2nd Floor नेशनल साइकिल मार्ट कृष्णा रोड, आनन्द जिला-खेड़ा (गुजरात)	सतीश चन्द्रा	

President
For All India Society Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
All India Society Electronics & Computer Technology (AISECT)

13.	संदीप कुमार	काशीपुरी पिकनिक स्पॉट रोड पोस्ट : खुर्रम नगर, लखनऊ (उ.प्र.)	श्री हृदयनाथ चतुर्वेदी	
14.	सिद्धार्थ	Q-8, के.एन. हाउस लक्ष्मी हाउस कानपुर	श्री एस.के. चौबे	

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

पंजीयन के समय कार्यरत पदाधिकारियों ... नहीं है।

साक्षी :

साक्षी :

हस्ताक्षर.....................................

नाम.....................................

पता.....................................

हस्ताक्षर.....................................

नाम.....................................

पता.....................................

शुल्क रूपये 600 चालान न./रसीद न.......

दिनांक 11-6-96 द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।

जारी होने की दिनांक.....................

प्रदायक के हस्ताक्षर

एस. जे. कुरेशी
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)

President
For All India Society Electronics
& Computer Techonololgy (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS
AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
All India Society Electronics
& Computer Technology (AISECT)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AU 095544

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

[illegible] / प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति

[illegible] साथ संलग्न स्टाम्प

[illegible] का नाम ऑल इंडिया [illegible]

[illegible] क्र. 4866 दिनांक 16.6.97 [illegible]

महा[illegible] के [illegible]

एम. जे. कुरेशी
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)

885/18
25/6/18

संशोधित नियमावली

1. **संस्था का नाम** : ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी (आईसेक्ट) होगा।

2. **संस्था का कार्यालय** : आईसेक्ट विश्वविद्यालय कैम्पस, भोपाल-चिकलोद रोड, बंगरसिया चोराहा के पास, ग्राम मेंदुआ, पोस्ट-भोजपुर, जिला - रायसेन, मध्यप्रदेश - 464993

3. **संस्था का कार्यक्षेत्र** : **संपूर्ण भारत होगा**

4. **संस्था का उद्देश्य** :

    1. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग से संबंधित जानकारी का साधारण जनता में प्रचार-प्रसार करना।
    2. स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों की जानकारी देना।
    3. प्रदर्शनी, सेमीनार और प्रचार माध्यमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के उपयोग की जानकारी देना।
    4. पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक संबंधी ज्ञान देना।
    5. इच्छुक व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर इत्यादि के चयन, विकास इत्यादि के बारे में जानकारी देना।
    6. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं तकनीक विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
    7. ऑडियो और वीडियो साधनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर एवं नई तकनीक से संबंधित विषयों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण देना।
    8. इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर, नई तकनीक, व्यवसायिक शिक्षण एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के लिये केन्द्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना करना।
    9. महिलाओं और बच्चों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं नई तकनीक के प्रशिक्षण तथा प्रचार के प्रयास करना।
    10. आदिवासियों, हरिजनों अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों के बीच तकनीक के प्रचार एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करना।
    11. नई तकनीकों के क्षेत्र में शोध विकास तथा राज्य एवं भारत सरकार की संबंधित परियोजनाओं में हिस्सेदारी करना।
    12. समान उद्देश्यों वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित करना और उनके तथा अपने सदस्यों के बीच लिंक के रूप में काम करना।
    13. संस्था के कौशल विकास एवं कौशल प्रशिक्षण संबंधी कार्य आईसेक्ट की सहायक संस्था आईसेक्ट स्किल्स मिशन समिति के सहयोग से संचालित किये जायेंगे एवं इस हेतु आईसेक्ट संस्था आईसेक्ट स्किल मिशन की पितृ संस्था की तरह कार्य करेगी जिसकी वह सांगठनिक सदस्य भी होगी।

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technology (AISECT)

5. **सदस्यता :**

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) **संरक्षक सदस्य :**

संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में 10,000/- या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा एवं प्रबन्धकारिणी समिति को मान्य होगा, वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य:**

जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 5,000/- या अधिक देगा एवं प्रबन्धकारिणी समिति को मान्य होगा, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा, कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5,000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य:**

जो व्यक्ति रुपये 100/- प्रतिमाह या रुपये 1200/- प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा एवं प्रबन्धकारिणी समिति को मान्य होगा, वह साधारण सदस्य होगा।

साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के एक वर्ष तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने एवं कार्यकारिणी समिति द्वारा सहमति होने पर उसे पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य :**

संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(ई) **छात्र सदस्य :**

वे सभी व्यक्ति जो कि संस्था द्वारा चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक होंगे और उसके लिये निर्धारित व्यय देंगे, संस्था के छात्र सदस्य होंगे, पर इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(क) **संस्थापक सदस्य :**

प्रारम्भ में रुपये 100/- या अधिक देकर कोई भी व्यक्ति संस्थापक सदस्य बन सकेगा। संस्थापक सदस्यों का वार्षिक चन्दा 5/- रुपये प्रतिमाह या 60/- रुपये प्रति वर्ष होगा।

(ख) **संस्थागत सदस्य :**

कोई भी संस्था जो रुपये 1,00,000/- प्रतिवर्ष चंदे के रूप में देगी एवं कार्यकारिणी को मान्य होगी, आईसेक्ट की संस्थागत सदस्य बन सकेगी।

6. **सदस्यता की प्राप्ति :**

प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे आवेदन-पत्र स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यता की योग्यता :**

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

अस्टि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technolology (AISECT)

1. आयु 16 वर्ष से कम न हो।

2. भारतीय नागरिक हो।

3. समिति के नियमों का पालन की प्रतिज्ञा की हो।

4. सद्चरित्र हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति :**

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर।

2. पागल हो जाने पर।

3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।

4. त्यागपत्र देने पर या कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार या कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर

जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **सदस्यता पंजी :**

संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।

2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो एवं रसीद नम्बर।

3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. **(अ) साधारण सभा :**

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान एवं समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर सूचना 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 1/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी दिन उसी स्थान पर पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जायेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में करे एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराये।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :

प्रबंधकारिणी सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन किया जाये तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technolology (AISECT)

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज़ ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :

ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5(क) में दर्शाये गये सदस्यों, जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, के द्वारा बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सचिव
4. कोषाध्यक्ष,
5. संयुक्त सचिव
6. सदस्य (4)

अति. रजिस्ट्रार ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

13. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल :

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा कार्य वर्ष अप्रैल से मार्च होगा।

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

(द) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(ई) संस्था द्वारा कोई स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।

(च) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना और साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना। साधारण सभा में कुल सदस्यों द्वारा 2/3 मतों से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technology (AISECT)

15. अध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव (मंत्री) द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. (अ) सचिव (मंत्री) के अधिकार :

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
2. समिति के आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके, साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। आईसेक्ट की सभी संस्थाओं एवं परियोजनाओं का अंकेक्षण संयुक्त रूप से किया जायेगा। आईसेक्ट स्किल मिशन को आईसेक्ट के आनुषंगिक संगठन के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी एवं वह उसकी एक परियोजना के रूप में ही काम करेगा। आईसेक्ट स्किल मिशन के छात्रों को उनकी अर्हता के अनुसार आईसेक्ट के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से संबद्ध एवं प्रमाणित किया जा सकेगा।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये परियोजनानुसार या आवश्यकतानुसार खर्च करने का अधिकार होगा।
5. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
6. समिति के कार्य से यात्रा करना एवं उसका निर्धारण करना।
7. समिति और उससे संबंधित सभी संस्थाओं का प्रशासनिक कार्यभार स्वयं के द्वारा, या स्वयं के द्वारा चयनित कर्मचारियों के द्वारा चलाना।
8. संस्था की गतिविधियों की योजना बनाना और उनके चलाने की व्यवस्था करना।
9. संस्था की ओर से सेमीनार, कांफ्रेंस, मीटिंग इत्यादि में भाग लेना।
10. कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संस्था की ओर से लोन लेना और चुकाना। सचिव को इस हेतु आवश्यकतानुसार संस्था की चल एवं अचल संपत्ति को बंधक रखने का अधिकार होगा।
11. संस्था के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की फीस निर्धारित करना, दान लेना, फीस की वसूली करना, तथा चंदे इत्यादि की प्राप्ति।
12. सोसायटी के अनौपचारिक शीघ्र कार्यकारी के रूप में कार्य करना, जिसके लिये, राशि होने पर वह कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित ऑनरेरियम का अधिकारी होगा।

17. (ब) संयुक्त सचिव के अधिकार :

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव, सचिव के कार्य करेगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

अति. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज / ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Secretary
ALL INDIA SOCIETY FOR ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technology (AISECT)

10

19. बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव (मंत्री) तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 10,000/- रहेंगे।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर, कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का परीक्षित लेखा भेजा जायेगा।

21. संशोधन :

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22. विघटन :

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

23. संपत्ति :

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अंतरित नही की जा सकेगी।

24. बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस मे रहेगी, एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. विवाद :

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निर्णय से संबंधित पक्षों को संतोष न हो तो वे रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधसमिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

एम. जे. कुरेशी
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

शुल्क रुपये 400 चालान न./रसीद
दिनांक 11/6/18 द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक
सहायक के हस्ताक्षर

President
All India Society for Electronics & Computer Technology (AISECT)

Treasurer
For All India Society Electronics & Computer Technology (AISECT)

भारतीय गैर न्यायिक

SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AM 857855

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL भोपाल

प्र.)

प्रविष्टि / प्रमाण पत्र की प्रमाणित
के साथ संलग्न स्टाम्प
फर्म का नाम [illegible]
पंजी. क्र. 4888 दिनांक 16.6 [illegible]

सहायक के हस्ताक्षर

23.06.18

एम. जे. कुरेशी
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

SPECIAL ADHESIVE | SPECIAL ADHESIVE | SPECIAL ADHESIVE | SPECIAL ADHESIVE | SPECIAL ADHESIVE

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AM 857856

अभि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

प्रविष्टि / प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
के साथ संलग्न स्टाम्प
फर्म का नाम [illegible]
पंजी. क्र. 4888 दिनांक 16.6.199[illegible]

सहायक के हस्ताक्षर

एस. जे. कुरेशी
असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल (म.प्र.)

प्रारूप सात

(नियम 11 देखिये)

3347
15/3/24

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र

1.	सोसायटी का नाम, पूरा पता मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी (आईसेक्ट) आईसेक्ट यूनिवर्सिटी कैम्पस, भोपाल-चिकलौद रोड, नियर बंगरसिया चौराहा, भोपाल-464993 मो. 96300458585, ई-मेल : aisect@aisect.org
2.	पंजीयन क्रमांक तथा तारीख	4888/16.5.1997
3.	साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख	26 अक्टूबर 2023
4.	विद्यमान पदाधिकारियों की सूची	कार्यकाल दिनांक 26/10/2023 से 25/10/2025

अ.क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल नम्बर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष कुमार चौबे आत्मज स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद चौबे	प्लॉट नं. 7, सेवॉय सावन, एन.एच.-12, होशंगाबाद रोड, भोपाल	9826256733	अध्यक्ष	शिक्षाविद्	(हस्ताक्षर)
2.	डॉ. पल्लवी राव आत्मज श्री सूर्या राव	प्लॉट नं. 42, सेवॉय सावन, एन.एच.-12, होशंगाबाद रोड, भोपाल	9752056868	उपाध्यक्ष	शिक्षाविद्	(हस्ताक्षर)
3.	डॉ. विनीता देवी पत्नि श्री संतोष कुमार चौबे	प्लॉट नं. 8, सेवॉय सावन, एन.एच.-12, होशंगाबाद रोड, भोपाल	9425300489	कोषाध्यक्ष	शिक्षाविद्	(हस्ताक्षर)
4	डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी आत्मज श्री संतोष कुमार चौबे	प्लॉट नं. 42, सेवॉय सावन, एन.एच.-12, होशंगाबाद रोड, भोपाल	9630045858	सचिव	शिक्षाविद्	(हस्ताक्षर)
5.	डॉ. नितिन वत्स आत्मज श्री महेश कुमार शर्मा	मैशन-10, ब्रिटिश पार्क, आईपर कॉलेज के पास, 11 मील, भोजपुर रोड, भोपाल	9726364024	संयुक्त सचिव	शिक्षाविद्	(हस्ताक्षर)
6.	श्री अरविंद चतुर्वेदी आत्मज स्व. श्री ब्रजपालनाथ चतुर्वेदी	एस.पी.एस. रेसीडेंसी, फ्लैट नं. GH-309, प्लाट नं. 18B, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद	9811276867	सदस्य	शिक्षाविद्	(हस्ताक्षर)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

(संजय...) अतिरिक्त रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल

Secretary
All India Society for Electronics & Computer Technology

7.	श्री पीयूष चतुर्वेदी आत्मज स्व. श्री आर.एन. चतुर्वेदी	बी-54, छत्रसाल नगर, फेस-1, बी.एच.ई.एल., भोपाल	7471118144	सदस्य	नौकरी	
8.	श्रीमती पुष्पा असिवाल	E-6/100, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	9826332875	सदस्य	नौकरी	
9.	श्री संदीप कुमार	डी-87, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल	9893262020	सदस्य	नौकरी	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 2000/- रु. की वार्षिक फीस ऑनलाइन चालान दिनांक 2/1/2024 के माध्यम से जमा कर दी गई है। उसकी प्रति संलग्न है।

चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (CIN) SBIN000615914752012024489834 है।

घोषणा

मैं **सिद्धार्थ चतुर्वेदी** पुत्र **श्री संतोष कुमार चौबे** आयु लगभग **42** वर्ष प्राधिकृत अधिकारी (सचिव) के रूप में एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड का दायी रहूँगा।

हस्ताक्षर

सिद्धार्थ चतुर्वेदी
सचिव
9630045858
ई-मेल siddharth@aisect.org

Secretary
All India Society for Electronics &
Co...

(संयुक्त) पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ
भोपाल नर्मदापुरम संभाग,भोपाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BW 748977

ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
संस्था कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट) [illegible]
11888 दिनांक 16/5/97 को [illegible] दिनांक 12/03/24 [illegible]
प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी [illegible] अधिनियम, [illegible]
धारा 27 की [illegible] धारा 27 [illegible]
दिनांक 13/03/24 [illegible]
धारा 27 के तहत [illegible]
के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी [illegible]
[illegible] धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि [illegible]
धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों [illegible]
के संबंध में प्रमाण-पत्र आदेश नहीं है।

अति. [illegible] 13/3/24
फर्म्स एवं संस्थाएं
[illegible] पंजीयक [illegible]